राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(4)/परि/कम्प्यू./2012/21160 जयपुर,दिनांकः 26/9/16

कार्यालय आदेश 33/2016

विभाग के समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन पंजीयन एवं चालक लाईसेंस से संबंधित सेवाऐं आमजन को 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उक्त सॉफ्टवेयर का संचालन कार्यालय स्तर पर स्थापित किये गये सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है। 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के अनाधिकृत एक्सेस अथवा मूल डेटाबेस छेडछाड को नियंत्रित करने के लिये कई स्तर पर लॉगिन एवं पासवर्ड की व्यवस्था है जिससे मूल डेटा में छेडछाड न हो। समस्त परिवहन कार्यालयों को आवंटित लॉगिन–पासवर्ड संबंधित अधिकारियों को दिया गया है, जिनकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अधिकारी में निहित है। समय–समय पर डेटाबेस को सुरक्षित रखने एवं अनाधिकृत एक्सेस को रोकने हेतु मुख्यालय स्तर से दिशानिर्देश दिये जाते रहे हैं तथा समय–समय पर मुख्यालय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा पासवर्ड की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तथा कार्यालयों में स्थापित सर्वर एवं सर्वर–रुम के संबंध में पासवर्ड पॉलिसी/विभागीय दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। कार्यालय स्तर पर दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना नहीं किये जाने की स्थिति में सर्वर पर संधारित डेटा में अनधिकृत छेडछाड अथवा डेटा को नष्ट किये जा सकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः सभी कार्यालयों में संचालित हो रहे सर्वर रुम एवं स्थापित किये गये डेटाबेस सर्वर की सुरक्षा हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में स्थापित सर्वर के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड तथा 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के पासवर्ड प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं सर्वर रुम के इंचार्ज के रुप में नामित सूचना सहायक/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्मिक/अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं हो।

2. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं सर्वर रुम के इंचार्ज के रुप में नामित सूचना सहायक/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्मिक/अधिकारी में से किसी का भी स्थानान्तरण/रोस्टर होने की स्थिति में सभी पासवर्ड मुख्यालय स्थित

कंप्यूटर शाखा/NIC शाखा से संपर्क कर परिवर्तित करवाये जाने की कार्यवाही प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा करवाई जावे।

3. कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियो को 'वाहन' एवं 'सारथी' के अपने–अपने पासवर्ड कि सुरक्षा के लिये उत्तरदायी बनाया जाये, तथा किसी भी परिस्थिति में अधिकारियों/कार्मिकों को जारी पासवर्ड अनाधिकृत व्यक्तियों/अन्य कार्मिकों के साथ शेयर नहीं किये जाये। इस तरह की घटना होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर तत्काल मुख्यालय को अवगत करावें।

4. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं सर्वर रुम के इंचार्ज के रुप में नामित सूचना सहायक/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्मिक/अधिकारी की सहायता से यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वर रुम में स्थापित कंप्यूटरों के अतिरिक्त अन्य किसी कंप्यूटर पर ऑरेकल का एडमिन क्लाइंट स्थापित नहीं हो।

5. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनाधिकृत व्यक्तियों का सर्वर रूम में आना–जाना अविलम्ब बंद किया जावे।

6. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी प्रतिदिन 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डेटाबेस का बेकअप लेने हेतु कार्यालय में कार्यरत सूचना सहायक में से किसी एक को इस कार्य हेतु अधिकृत कर प्रतिदिन यह सुनिश्चित करें कि 'वाहन' एवं 'सारथी' दोनो डेटाबेस का बेकअप लिया गया अथवा नहीं है। साथ ही कार्यालय में यदि अन्य विभागीय सॉफ्टवेयर भी उपयोग किये जा रहे हों तो उनके डेटाबेस का बैकअप भी प्रतिदिन लिया जावे।

7. सर्वर रुम के इंचार्ज के रुप में नामित सूचना सहायक/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्मिक/अधिकारी को सर्वर रूम का दायित्व पूर्णतया दिया जावे, जो उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वर, नेटवर्किंग, यूपीएस, क्लाईन्ट इत्यादि का नियमित रूप से देख–भाल करता रहे, ताकि कार्यालय का कार्य बाधित ना हो। कार्यालय के समस्त ई–मेल तथा अन्य वेब पोर्टल यथा आई.एफ.एम.एस., राजस्थान संपर्क इत्यादि पर नियमित डेटा एन्ट्री का कार्य एवं समस्त पासवर्ड उक्त सूचना सहायक/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्मिक/अधिकारी के अधीन रखे जावें। वैकल्पिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये एक अन्य सूचना सहायक को उसके निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सर्वर रूम की देख–भाल व अन्य व्यवस्थाओं हेतु अधिकृत किया जावे, ताकि मुख्य कर्मचारी के अवकाश इत्यादि की स्थिति में कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित रहे।

8. 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में कार्यालय स्तर पर modification/correction को अविलम्ब प्रतिबंधित करें। ऐसा करने पर संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही कर मुख्यालय को अवगत करावें।

9. कार्यालय परिसर/सर्वर रूम में अनाधिकृत व्यक्तियो के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक 08/2014 के बिन्दु सख्या–7 द्वारा समस्त कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी कर गले मे पहनने हेतु निर्देशित किया गया था इसे गम्भीरता से लेवें एवं इस निर्देश की सख्ती से पालना के साथ–साथ औचक जांच समय–समय पर करें।

10. जिन कर्मचारियों को कैश काउन्टर के लिए अधिकृत किया गया है सभी का आवश्यक रूप से पिछले दिन की अंतिम रसीद एवं चालू दिन की प्रथम रसीद के क्रम संख्या का मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे की कोई फासला (gap) तो नहीं है अथवा रसीद नम्बर मिसिंग तो नहीं है। उनके द्वारा कार्य समय समाप्ति पश्चात् सांयकाल मे RCR सम्बंधित के लॉगिन से प्रिन्ट करवाकर लेखाशाखा एवं कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रतिदिन जांच कर सत्यापित की जावें। जिस कैशियर द्वारा लापरवाही बरती जाती है उस पर उसी दिन नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही करें।

उक्त निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

शैलेन्द्र अग्रवाल
(परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव)

क्रमांकः एफ 25(4)परि/कंप्यू./2012/ 21161-65

जयपुर, दिनांकः– 26/9/16

प्रतिलिपिः

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)